



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062026-273041
CG-DL-E-01062026-273041

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2668]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2026/ज्येष्ठ 11, 1948

No. 2668]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2026/JYAISTHA 11, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

का.आ. 2761(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 59 पर किलोमीटर 87/900 पर स्थित नए प्रमुख पुल उतेई का निर्माण के लिए उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 59 पर किलोमीटर 87/900 पर स्थित नए प्रमुख पुल उतेई का निर्माण के लिए
भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	तहसीलदार एम रामपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH59 के कि.मी 87.23 से कि.मी 88.39 तक	उड़ीसा	कलाहांडी	मदनपुर रामपुर	1 तुर्ची
					कालामुंडा	1 कुसूरला

[फा. सं. Ro/BBSR/11017/LA/97/2016]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

S.O. 2761(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of New Major Bridge Utei at Km 87/900 on NH 59 in the State of ODISHA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH59 for Construction of New Major Bridge Utei at Km 87/900 in the State of ODISHA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Tahsildar M Rampur	NH59 KM 87.23 TO KM 88.39	ODISHA	KALAHANDI	Madanpur Rampur	1 Turchi
					Karlamunda	1 Kusurla

[F. No. Ro/BBSR/11017/LA/97/2016]

SHAIKH AMINKHAN, Director